झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1165 वर्ष 2017

सरदार जसवंत सिंह बेदी, पे0 स्वर्गीय सरदार अमर सिंह बेदी, निवासी–बेदी मार्केट, मेन रोड, चास, डाकघर एवं थाना–चास, जिला–बोकारो स्टील सिटी

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

सिमरनजीत सिंह बेदी, पे0 सरदार परमजीत सिंह बेदी, निवासी–बेदी मार्केट, मेन रोड, चास, डाकघर एवं थाना–चास, जिला–बोकारो स्टील सिटी

.....उत्तरदाता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए:– श्री राजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

दिनांक : 15वी जून, 2017

याचिकाकर्ता दिनांक 04.02.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए एक उत्प्रेषण रिट जारी करने की मांग की है जिसके तहत अपर जिला (सत्र) न्यायाधीश प्रथम, बोकारो ने विरोधी पक्षकार, यहाँ प्रत्यर्थी (निचली अदालत में वादी) की याचिका को बिक्री विलेख संख्या 12761 दिनांक 31.05.1973 को प्रदर्श 11 के रूप में चिन्हित करने और लिखावट विशेषज्ञ द्वारा जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार ने (2013) 14 एस0सी0सी0 1 [बगई कंस्ट्रक्शन बनाम गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल्स स्टोर] और (2016) 11

एस0सी0सी0 296 [राम रति बनाम मांगे राम और अन्य] में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए निवेदन किया है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उक्त मामलों में साक्ष्य की समाप्ति के बाद दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में चिन्हित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह वादी को उसके द्वारा दिए गए अभिवचनों और साक्ष्य में कमी को भरने की अनुमति देने के बराबर होगा।

3. विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सबूत का बोझ वादी पर है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब सत्यापन करने वाले गवाह नहीं पाए जाते हैं या कानून के अनुसार दस्तावेज साबित नहीं किए जाते हैं। यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक सत्यापित गवाह मिहिर कुमार सिंह नेटिस की वैध सेवा और यहां तक कि उनकी परीक्षण के लिए आयोग जारी करने के बावजूद अपनी परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। एक अन्य सत्यापन करने वाला गवाह शक्तिपद डे ने हलफनामे में कहा कि वसीयत उनकी उपस्थित में निष्पादित की गई थी, हालांकि आगे की जांच में उन्होनें अपने पहले के बयान से इनकार कर दिया। वसीयत कते निष्पादन के किसी भी सबूत कते अभाव में, अदालत ने बिक्री विलेख को एक प्रदर्शन के रूप में चिन्हित करने और लिखावट विशेषज्ञ द्वारा जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देने में गलती की है। यह कि निचले न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 से 71 के अधिदेश का पालन न करके कानून में गलती की है और आदेश कानून के स्थापित सिद्धांत में है और वादी प्रतिवादी को वसीयत के वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 31.05.1973 के विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध

में किसी भी अभिवचन के अभाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना उचित है।

4. इसके विपरीत, श्री राजीव शर्मा, प्रतिवादी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रतिपादित तर्क की वाकपटुता सिद्धांत किसी भी गुण से रहित है सुस्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 पूरी तरह व्यापक और सक्षम धारा है और यह सहायता देने के लिए है और एक ऐसे पक्ष के बचाव के लिए आती है जिसने एक दस्तावेज साबित करने के बोझ को पूरा करने कास प्रयास किया है। यह उस पक्षकार को सक्षम बनाता है जिसे गवाहों द्वारा निराश किया गया है और उसके पास वसीयत कते उचित निष्पादन को साबित करने के अन्य साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाकर प्रदर्शित करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि इसमें याची के लिखित कथन के पैरा 28 से यह स्पष्ट होगा कि उन्होनें 31.05.1973 दिनांकित विक्रय विलेख के निष्पादन के बारे में स्वीकार किया है। यह कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

5. सुना। इस रिट याचिका के साथ संलग्न लिखित बयान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि याची (नीचे की अदालत में प्रत्यर्थी) ने 31.05.1973 दिनांकित विक्रय विलेख के निष्पादन के बारे में स्वीकार किया है। निचली अदालत ने सबूतों और तथ्यों पर चर्चा कली है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवाद परीक्ष्ज्ञण के दौरान, विरोध पक्ष याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से इनकार नहीं किया है, बल्कि उसने विक्रयि विलेख के बारे में अनभिज्ञता का नाटक किया है। वास्तव में, उन्होनें टाल–मटोल वाला जवाब दिया है। यह अच्छी तरह से

स्थापित है कि धारा 71 एक पक्ष को सहायता देने के लिए एक सक्षम प्रावधान है जब उसे निर्वहन करने में गवाहों द्वारा निराश किया जाता है, इसके अलावा यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान मतें स्वीकार किया है कि 31.05.1973 को बक्री विलेख निष्पादित किया गया था और निचली अदालत ने इस स्वीकृति पर ध्यान दिया है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का कोई प्रभाव नहीं है और वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाए।

यह रिट याचिका, कोई गुणागुण से रहित होने के कारण खरिज की जाती है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)